

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2010

क्रमांक 8460 —एफ.आरएस-17—तेरह—2002 : मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (जो इसमें इसके पश्चात् प्रथम अंतरण योजना नियम के नाम से निर्दिष्ट है) और मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अंतरण योजना नियम, 2006 और विधि के समस्त अन्य प्रयोज्य उपबंधों के साथ पठित विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 133, मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 24 के अनुसरण में और संबंधित कंपनियों/संस्थानों (एन्टिटीज) से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात्, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मंडल" कहा गया है) के कार्मिकों का उत्तरवर्ती कम्पनियों (एन्टिटीज) में निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर अंतरण करने के लिए, आदेश करता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "शीर्ष समिति" से अभिप्रेत है इस आदेश के खण्ड 6 के अधीन गठित शीर्ष समिति;
- (ख) "प्रभावी तिथि" से अभिप्रेत है इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख;

- (ग) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है इस आदेश के खण्ड 5 के अनुसार शीर्ष समिति की सहायता के लिए गठित की गई कार्यकारिणी समिति ।
- (2) इस आदेश में प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36), मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001), तथा मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 और मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अंतरण योजना नियम, 2006 में उनके लिए दिए गए हैं।

2. कार्मिकों का अंतरण :

डिस्काम-1, डिस्काम-2, डिस्काम-3, 'जेनको', 'ट्रांसको' और 'ट्रेडको' को सौंपी गई मंडल के कार्मिकों की सेवाएं और उक्त कंपनियों/संस्थानों (एन्टिटी) में इस आदेश की तारीख को कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाएं ऐसी उक्त कंपनियों (एन्टिटी) को जिसमें कि वे इस आदेश की तारीख को कार्य कर रहे हैं, इस आदेश में अंतर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर अंतरित हो जाएंगी :

परंतु कोई कार्मिक, जो प्रभावी तिथि के पूर्व इस प्रकार अस्थायी तौर पर सौंपे जाने हेतु मंडल द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के कारण प्रभावी तिथि को किसी कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहा हो, वह, यथास्थिति, ऐसे 'डिस्काम-1', 'डिस्काम-2', 'डिस्काम-3', 'जेनको', 'ट्रांसको' और 'ट्रेडको' में अनंतिम आधार पर अंतरित हो जाएगा, जिसको कि उसे सौंप दिया जाता यदि वह अस्थायी न होता :

परंतु यह और कि इस आदेश की अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध कार्मिकों की सेवाएं, इस बात के होते हुए भी 'जेनको' को अनंतिम रूप से अंतरित हो जाएंगी कि वे किसी अन्य कंपनी/संस्थान(एन्टिटी) में अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं :

परंतु यह भी कि इस आदेश की अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध कार्यालयों में कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाएं, उक्त कार्यालयों के सामने उल्लिखित कंपनी (एन्टिटी) को, ऊपर उल्लिखित किन्हीं उपबंधों के होते हुए भी अनंतिम रूप से अंतरित हो जाएंगी :

परंतु यह भी कि इस खण्ड के अधीन किसी कार्मिक के सौंपे जाने या अंतरण किए जाने की बावत् कोई विवाद या मतभेद है, जिसमें उक्त परंतुकों में से किसी भी परंतुक के संदर्भ में कोई विवाद या मतभेद सम्मिलित है, तो उक्त प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले आदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन का विनिश्चय अंतिम होगा ।

3. प्रतिनियुक्ति :

अनंतिम आधार पर अंतरण के होते हुए भी, मंडल, उस कंपनी/संस्थान(एन्टिटी) से परामर्श करके, जिसको कि कार्मिक का अंतरण किया गया है, किसी कार्मिक को किसी भी समय, किसी अन्य कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) में, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उपयुक्त समझे, प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का निदेश दे सकेगा और मंडल द्वारा दिए गए ऐसे निदेश पर, उस कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) में ऐसे कार्मिक से बिना प्रतिनियुक्ति भत्ता के या अतिरिक्त भत्ता के सेवा करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें कि उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, ऐसी प्रतिनियुक्ति किसी भी रीति में उपरोक्त खण्ड 2 के अनुसार ऐसे कार्मिक के अंतरण पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. मंडल इसमें ऊपर दिए गए खण्ड-2 के निबंधनों के अनुसार अनंतिम रूप से अंतरित किए गए कार्मिकों की सेवा संबंधी मामलों पर, जिसमें सामान्य पदक्रम सूची से पदोन्नति भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश शासन के आगामी आदेश पर्यन्त कार्यवाही करता रहेगा ।

5. शीर्ष समिति और कार्यकारिणी समिति :

मध्यप्रदेश शासन, 'डिस्काम-1', 'डिस्काम-2', 'डिस्काम-3', 'जेनको', 'ट्रांसको', 'ट्रेडको' तथा मंडल से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् एक शीर्ष समिति और एक कार्यकारिणी समिति, उनकी शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों को बतलाते हुए जो इस आदेश की अनुसूची 'ग' और 'घ' में क्रमशः और अधिक स्पष्टता से वर्णित है, गठित करेगा ।

6. कार्मिक द्वारा अभ्यावेदन :

- (1) कार्मिकों को उनके अंतरण या अंतरण से संबंधित किन्हीं मामलों की बावत्, प्रभावी तिथि से 45 दिवस के भीतर, इस आदेश की अनुसूची 3 में दिये गये विहित प्ररूप में अपना अभ्यावेदन, कार्यकारिणी समिति की सहायता प्राप्त शीर्ष समिति की अनुशंसाओं पर आधारित मध्यप्रदेश शासन द्वारा विचार किए जाने वाले उनके दावे का ब्यौरा देते हुए मंडल के सचिव को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।

- (2) मंडल का सचिव, कार्मिक से प्राप्त अभ्यावेदन को, शीर्ष समिति को उसके विचारण के लिए अग्रेषित करेगा। शीर्ष समिति, कार्मिक द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अपनी तार्किक और प्रबल अनुशंसाएं, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुज्ञात की जाएं, अग्रेषित करेगी। कार्मिक द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने के लिए शीर्ष समिति, कार्यकारिणी समिति की सहायता लेगी।
- (3) कार्मिकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और अनुशंसाएं करते समय, कार्यकारिणी समिति तथा शीर्ष समिति, कार्मिक की उपयुक्तता, योग्यता और अनुभव के साथ-साथ अन्य सुसंगत कारकों सहित कार्मिक की कैरियर संभावनाओं तथा अभ्यावेदन को उचित वरीयता देते हुए सम्यक् रूप से ध्यान में लेगी।
- (4) यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति या शीर्ष समिति, कार्मिकों की उनके अभ्यावेदनों पर सुनवाई के लिए ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जैसा कि शीर्ष समिति विनिश्चय करे, बैठक बुलाने का विनिश्चय कर सकेगी। कार्मिक, यथास्थिति, ऐसी बैठक के दौरान, मंडल की कर्मचारी संगठन या संघों (यूनियनों) के प्रतिनिधियों से सहायता ले सकेंगी।

7. अभ्यावेदनों पर विनिश्चय :

- (1) मध्यप्रदेश शासन, शीर्ष समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए किसी कार्मिक द्वारा किए गए अंतरण के संबंध में अभ्यावेदन को विनिश्चित करेगा और अभ्यावेदन पर ऐसा आदेश करेगा जैसा कि वह समुचित समझे जिसमें किसी ऐसी कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) से कार्मिक का अंतरण भी शामिल है, जिससे कि वे किसी अन्य कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) को अनंतिम रूप से अंतरित किए गए थे।
- (2) मध्यप्रदेश शासन, अभ्यावेदनों पर अपने विनिश्चय को अंतिम रूप देने के पश्चात्, इसमें इसके पूर्व खण्ड 2 के अनुसार अनंतिम रूप से अंतरित किए गए कार्मिकों के अंतरण और स्थायी आमेलन के संबंध में समुचित आदेश जारी करेगा। ऐसा आदेश प्रथम अंतरण योजना नियम, 7 के उपनियम (6) के निबंधनों के अनुसार होगा।

8. स्थायी आमेलन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति :

इस आदेश के निबंधनों के अनुसार अंतरण और स्थायी आमेलन के होते हुए भी, मध्यप्रदेश शासन, उस कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) से परामर्श करके, जिसको कि कार्मिक का अंतरण किया गया है, किसी भी समय, किसी अन्य कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) में ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, किसी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का निदेश दे सकेगा और मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए ऐसे निदेश पर, उस कंपनी/संस्थान (एन्टिटी) में ऐसे कार्मिक से बिना प्रतिनियुक्ति भत्ता के या अतिरिक्त भत्ता के सेवा करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें कि उसे प्रतिनियुक्त किया जाता है। ऐसी प्रतिनियुक्ति किसी भी रीति में ऐसे कार्मिक के अंतरण और स्थायी आमेलन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

सचिव

म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

अनुसूची 'क'

इससे नीचे वर्णित कंपनियों/विभागों में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिक इस अधिसूचना की तिथि से अनंतिम रूप से जेनको में अंतरित होंगे—

अनु.क्र.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	
			कंपनी का नाम (एन्टिटी)	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री आर.के. कटारे	मुख्य अभियंता, उत्पादन	ट्रेडको	भोपाल
2.	श्री राजेश मेहता	मुख्य अभियंता, उत्पादन	ट्रेडको	भोपाल
3.	श्री अनिल कुमार अवस्थी	अति. मुख्य अभियंता, उत्पादन	एनवीडीए	भोपाल
4.	श्री कफील अहमद	अति. मुख्य अभियंता, उत्पादन	ओएसडी, संपर्क	ऊर्जा विभाग, भोपाल
5.	श्री ए.पी. भैरवे	अति. मुख्य अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी जबलपुर
6.	श्री एस.के. शर्मा	अधीक्षण अभियंता, उत्पादन	ओएसडी, संपर्क	ऊर्जा विभाग भोपाल
7.	श्री पीएआर बेंडे	अधीक्षण अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
8.	श्री आर.डी. सक्सेना	अधीक्षण अभियंता, उत्पादन	ट्रेडको	आईपीसी जबलपुर
9.	श्री कुलदीप प्रभाकर	अधीक्षण अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी जबलपुर
10	श्री अनिल कुमार जैन	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनवीडीए	भोपाल
11	श्री मुरारीलाल अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनवीडीए	भोपाल

12	श्री नंदकिशोर ब्रह्मे	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
13	श्री बलजीत सिंह खनूजा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
14	श्री संतोष कुमार तिवारी	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
15	श्री नीरज व्यास	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
16	श्री आर.एस. यादव	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
17	श्री प्रदीप नेमा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ओएसडी, संपर्क	ऊर्जा विभाग, भोपाल
18	श्री नीरज अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ओएसडी, संपर्क	ऊर्जा विभाग, भोपाल
19	श्री मनोज मण्डलोई	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ओएसडी, संपर्क	ऊर्जा विभाग, भोपाल
20	श्री एन.के. कोहली	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रेडको	आईपीसी जबलपुर
21	श्री ए.के. भट्नागर	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
22	श्री आर.ए. शर्मा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
23	श्री एस.एस. पटेल	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर

24	श्री एस.पी. गर्ग	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
25	श्री जे.एस. आहूजा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
26	श्री विजय कुमार राठौर	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
27	श्री अनुराग प्रसाद दीक्षित	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
28	श्री अनुराग मिश्रा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
29	श्री विवेक कुमार अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
30	श्री राजेश गुप्ता	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
31	श्री जे.एस. खोत्रा	कार्यपालन अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
32	श्री के.बी. शर्मा	सहायक अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
33	श्री अनिल कुमार जैन	सहायक अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
34	श्री ज्योतिर्मय घोष	सहायक अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
35	श्री सोमदेव शर्मा	सहायक अभियंता, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
36	श्री जयंत अग्रस्ति	सहायक अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
37	श्री भोलानाथ चौधरी	सहायक अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
38	श्री आर.पी. राख्या	सहायक अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर

39	श्री पी.के. श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
40	श्री आर.के. श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, उत्पादन	ट्रांसको	एसएलडीसी, इंदौर
41	श्री अविनीश शुक्ला	कनिष्ठ यंत्री, उत्पादन	एनव्हीडीए	भोपाल
42	श्री विवेक भारद्वाज	कनिष्ठ यंत्री, उत्पादन	उप सचिव, (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	भोपाल
43	श्री के.आर.कर्था	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ओएसडी संपर्क	भोपाल
44	श्रीमती अनिता मेहता	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
45	श्री एस.के.राय	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
46	श्री एस.एन.सेन	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
47	श्री एस.के. कोहली	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
48	श्री पी.के. गुप्ता	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
49	श्री पी.के. धीमोले	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
50	श्री मुकेश शर्मा	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
51	श्री सी.एम. जैन	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
52	श्री एम. प्रभाकर	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
53	श्री जे.एम. कुलकर्णी	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
54	श्री सनत देसाई	कनिष्ठ यंत्री, प्लांट	ट्रांसको	इंदौर
55	श्री ओमप्रकाश सैनी	वरिष्ठ संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
56	श्री विन्सेन्ट फर्नांडिस	संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
57	श्री एम.पी. दुबे	संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर

58	श्री ए.पी. सप्रे	संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
59	श्री एम.आर. सोनी	संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर
60	श्री राम निहोर कुशवाहा	संयंत्र सहायक	ट्रांसको	एसएलडीसी, जबलपुर

अनुसूची ख

निम्नलिखित कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्य कर रहे कार्मिकों को जो कि मंडल में सामान्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इस अधिसूचना तथा इसमें नीचे वर्णित रीति अनुसार अनंतिम रूप से अंतरित किया जाता है -

अनुक्रमांक	कार्मिक का विवरण	कंपनी,(एन्टिटी) जिनको कार्मिकों की सेवाएं अंतरित की जानी हैं
1.	मुख्य अभियंता, (ओ एंड एम - पी तथा कार्यपालक निदेशक सी एस एंड ए) के कार्यालय में कार्यरत कार्मिक	'डिस्काम1'— मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड
2.	निदेशक (वित्त) जबलपुर तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय	ट्रेडको— मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड
3.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल के अस्पताल, जबलपुर	ट्रेडको
4.	व्हीकल सेक्शन, जबलपुर	ट्रेडको
5.	अधीक्षण अभियंता (सिविल), मुख्यालय जबलपुर	ट्रेडको
6.	निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा), जबलपुर	ट्रेडको
7.	केन्द्रीय खेल एवं सांस्कृतिक समिति, जबलपुर	ट्रेडको
8.	ओ एस डी (संपर्क) भोपाल	ट्रेडको
9.	रेसिडेंट इंजीनियर, दिल्ली	ट्रेडको
10.	राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (भार प्रेषण केन्द्र) एवं मानव संसाधन विकास संस्थान (एचआरडीआई) जबलपुर में कार्यरत कार्मिक	ट्रांसको— मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
11.	सिविल वृत्त, मण्डलेश्वर में कार्यरत कार्मिक	जेनको—मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
12.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल के सचिवालय, कार्मिक विभाग, आईआरओ, पीआरओ, वरिष्ठ विधि अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कार्मिक	ऐसे कार्मिक को जबलपुर में स्थित चार कंपनियों में बाँटा जाकर अंतरित किया जाएगा जो कि विहित प्ररूप (अनुसूची -च) में अधिमान्यता कम के अनुसार होगा

अनुसूची 'ग'

शीर्ष समिति

1. गठन :

- (क) शीर्ष समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :
- (एक) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल, जबलपुर का अध्यक्ष;
- (दो) छह कंपनियों अर्थात् 'डिस्काम-1', 'डिस्काम-2', 'डिस्काम-3', 'जेनको', 'ट्रांसको', तथा 'ट्रेडको' के मुख्य प्रबंध संचालक/प्रबंध संचालक ; और
- (तीन) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल, जबलपुर का सचिव ।
- (ख) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल का अध्यक्ष तथा सचिव, शीर्ष समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा संयोजक होंगे ।

2. विचारणीय विषय:

- (क) कार्मिकों से उनके अनंतिम अन्तरण अर्थात् कंपनी में उनके आमेलन होने के पूर्व प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के संबंध में शीर्ष समिति कार्यकारिणी समिति की सहायता से मध्यप्रदेश शासन को तार्किक तथा प्रबल अनुशंसाएं करेगी ।
- (ख) शीर्ष समिति, इस प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश तय करेगी ।

अनुसूची 'घ'
कार्यकारिणी समिति

1. गठन :

(क) कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(एक) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल, जबलपुर का अपर सचिव;

(दो) छह कंपनियों अर्थात् 'डिस्काम-1', 'डिस्काम-2', 'डिस्काम-3', 'जेनको', 'ट्रांसको', तथा 'ट्रेडको' के समस्त सचिवालय प्रमुख; और

(तीन) जबलपुर मंडल का अपर सचिव (पी)-1

(ख) मंडल का अपर सचिव कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा तथा मण्डल का अपर सचिव (पी)-1 इस कार्यकारिणी का संयोजक होगा।

2. विचारणीय विषय:

कार्यकारिणी समिति, समय-समय पर, यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्मिकों से संबंधित मामलों पर कार्य करेगी और शीर्ष समिति के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगी।

अनुसूची 'ड.'

अनंतिम अंतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन'

(ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, अधिसूचना क्रमांक -----तारीख-----)

1. कर्मचारी का नाम _____
2. पदनाम _____
3. पदस्थापना का स्थान _____
4. कंपनी (एन्टिटी) जिसमें
अनंतिम अंतरण के पूर्व कार्य कर रहा है _____
5. उस कंपनी जिसमें अनंतिम
रूप से अंतरित किया गया हो _____
6. कंपनी, जिस हेतु विकल्प दिया गया
(अधिमानता कम में) _____
प्राथमिकता क्रमांक -1
प्राथमिकता क्रमांक -2
प्राथमिकता क्रमांक -3
प्राथमिकता क्रमांक -4
प्राथमिकता क्रमांक -5
7. अनंतिम अंतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन के लिए कारण _____
8. क्या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की गई हां/नहीं
9. यदि हां तो मंडल की किसी कर्मचारी
संगठनों/संघों की सहायता
अपेक्षित होगी हां / नहीं
10. यदि हां, तो उस कर्मचारी संगठन /
संघ का नाम _____

हस्ताक्षर _____

कर्मचारी का नाम-----

पदनाम _____

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

अभिस्वीकृति

पावती संख्या एवं तारीख _____

द्वारा प्राप्त (कार्यालय की मुद्रा सहित) _____

अनुसूची 'च'

(अंतरण के लिए विकल्प)

(अनुसूची ख के अनुक्रमांक 12 के कार्मिकों को लागू)

(ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, अधिसूचना क्रमांक ----- दिनांक -----)

1. कर्मचारी का नाम -----
2. पदनाम -----
3. कार्यालय, जिसमें वर्तमान में कार्यरत है -----
4. कंपनी जिसके लिए विकल्प देना है -----
(अधिमानता के क्रम में)
प्राथमिकता क्रमांक -1
प्राथमिकता क्रमांक -2
प्राथमिकता क्रमांक -3
प्राथमिकता क्रमांक -4
5. अनंतिम अंतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन के लिए कारण
6. क्या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की गई -----हां/नहीं
7. यदि हां, तो क्या मण्डल के कर्मचारी संगठन -----
/संघ की सहायता अपेक्षित होगी
8. यदि हाँ, तो उस कर्मचारी संगठन/ -----
संघ का नाम

हस्ताक्षर -----

कर्मचारी का नाम -----

पदनाम -----

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे)

अभिस्वीकृति

पावती संख्या एवं तारीख -----

द्वारा प्राप्त(कार्यालय की मुद्रा सहित) -----

ORDER

Bhopal, Dated 30.11.2010

No. 8460 -F.RS-17-XIII-2002 : In pursuance of the provisions of section 133 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), section 24 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001) read with the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 (hereinafter referred to as the First Transfer Scheme Rules) and the Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules, 2006 and all other applicable provisions of law and after due consultation with the concerned entities, the Government of Madhya Pradesh hereby Order to give effect to the transfer of personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board (hereinafter called "**the Board**") to successor entities on the following terms and conditions, namely :-

1. (1) In this order, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Apex Committee" means the Apex Committee constituted under clause 6 of this Order;
 - (b) "Effective Date" means the date of the publication of this order in the official Gazette;
 - (c) "Working Committee" means the working committee constituted to assist the Apex Committee in terms of clause 5 of this Order.

(2) The other expressions used in this order shall have same meaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003, (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001) and the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 and the Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules, 2006.

2. Transfer of Personnel:

The services of the personnel of the Board assigned to and working as on the date of this Order in Discom-1, Discom-2, Discom-3, Genco, Transco and Tradeco shall stand transferred on a provisional basis to the said entity in which they are working as on the date of this Order subject to the terms and conditions contained in this Order:

Provided that a personnel who has been working in any entity on the Effective Date on a temporary basis by virtue of an order passed by the Board for such temporary assignment prior to the Effective Date, would stand transferred on a provisional basis to Discom-1, Discom-2, Discom-3, Genco, transco or Tradeco, as the case may be, to which he would have been assigned but for such temporary assignment:

Provided further that the services of personnel listed in Schedule 'A' to this Order shall stand provisionally transferred to Genco, notwithstanding that they have been discharging the functions in any other entity:

Provided further that the services of the personnel working in the offices listed in Schedule 'B' to this Order shall stand provisionally transferred to the entity mentioned against the said offices, notwithstanding any of the provisions mentioned above:

Provided also that in case of any dispute or difference as to the assignment and transfer of personnel under this clause, including with reference to any of the provisos, the decision of the Government of Madhya Pradesh, by issuing an order for the said purpose, shall be final.

3. Deputation:

Notwithstanding the transfer on a provisional basis, the Board in consultation with the entity to which the personnel has been transferred, at any time, may direct deputation of any personnel to work in any other entity for such period as it may consider appropriate, and on such direction by the

Board, the personnel will be required to serve the entity to which he is deputed, without any deputation or additional allowance. Such deputation will not in any manner affect the transfer of such personnel in terms of clause 2 above.

4. The Board shall continue to deal with the service matters, including promotion on common gradation lists, of the personnel provisionally transferred in terms of clause 2 hereinabove till further orders of the Government of Madhya Pradesh.

5. Apex Committee and Working Committee:

The Government of Madhya Pradesh shall after due consultation with Discom-1, Discom-2, Discom-3, Genco, Transco, Tradeco and the Board constitute an Apex Committee and a Working Committee with powers, functions and duties as more fully set out in Schedule 'C' and 'D' respectively to this Order.

6. Representation by Personnel:

(1) The personnel shall have an opportunity to submit their representation in the prescribed form, as given in Schedule 'E' of this Order, to the Secretary of the Board in regard to their transfer or any matters relating to their transfer within 45 days from the Effective Date giving details of their claim to be considered by the Government of Madhya Pradesh based on the recommendations of the Apex Committee assisted by the Working Committee.

(2) The Secretary of the Board shall forward the representation received from the personnel to the Apex Committee for its consideration. The Apex Committee shall forward its reasoned and cogent recommendations on the representations made by the personnel to the Government of Madhya Pradesh within such time as may be allowed by the Government of Madhya Pradesh. The Apex Committee shall take assistance of the Working Committee for finalizing recommendations on the representations made by the personnel.

(3) While considering the representation of the personnel and making recommendations, the Working Committee and the Apex Committee shall duly take into account the suitability, ability and experience of the personnel, and all other relevant factors giving due weightage to career prospects and the representations of the personnel.

(4) The Working Committee or the Apex Committee, as the case may be, may decide to hold a meeting to hear the personnel on their representation at such place and at such time and in such manner as the Apex Committee may decide. The personnel shall be entitled to take assistance from the representatives of the Employees Association or Unions of the Board, as the case may be, during such meetings.

7. Decision on Representation:

(1) The Government of Madhya Pradesh shall decide the representation made by the personnel taking into account the recommendation of the Apex Committee and make such order as it considers appropriate on the representation with regard to the transfer of personnel from the entity to which they are provisionally transferred to any other entity.

(2) The Government of Madhya Pradesh shall upon finalizing its decision on the representations, issue appropriate orders in regard to the transfer and permanent absorption of the personnel provisionally transferred in terms of clause 2 hereinabove. Such order shall be in terms of sub-rule (6) of rule 7 of the First Transfer Scheme Rules.

8. Deputation after permanent absorption:

Notwithstanding the transfer and permanent absorption in terms of this order, the Government of Madhya Pradesh in consultation with the entity to which the personnel has been transferred, at any time, may direct deputation of any personnel to work in any other entity for such period as it may consider appropriate and on such direction by the Government of Madhya Pradesh, the

personnel will be required to serve the entity to which he is deputed, without any deputation or additional allowance. Such deputation will not in any manner affect the transfer and permanent absorption of such personnel.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh



(Mohd. Suleman)
Secretary

Govt. of M.P., Energy Department

SCHEDULE A

The following personnel working in the companies/departments mentioned hereinbelow shall be provisionally transferred to the Genco on the date of this notification:

S. No.	Name of personnel	Designation	Present Posting	
			Name of entity	Place of posting
1.	R.K. Katare	CE (Gen)	Tradeco	Bhopal
2.	Rajesh Mehta	CE (Gen)	Tradeco	Bhopal
3.	Anil Kumar Awasthi	ACE (Gen)	NVDA	Bhopal
4.	Kafeel Ahmed	ACE (Gen)	OSD (Liaison)	Energy Deptt.
5.	AP Bhairve	ACE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
6.	SK Sharma	SE (Gen)	OSD (Liaison)	Energy Deptt.
7.	PAR Bende	SE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
8.	RD Saxena	SE (Gen)	Tradeco	IPC, JBP
9.	Kuldeep Prabhakar	SE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
10.	Anil Kumar Jain	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
11.	Murari Lal Agrawal	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
12.	Nand Kishore Bramhe	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
13.	Baljeet Singh Khanuja	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
14.	Santosh Kumar Tiwari	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
15.	Neeraj Vyas	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
16.	R.S. Yadav	EE (Gen)	NVDA	Bhopal
17.	Pradeep Nema	EE (Gen)	OSD (Liaison)	Energy Deptt.
18.	Neeraj Agrawal	EE (Gen)	OSD (Liaison)	Energy Deptt.
19.	Manoj Mandloi	EE (Gen)	OSD (Liaison)	Energy Deptt.
20.	NK Kohli	EE (Gen)	Tradeco	IPC, JBP
21.	AK Bhatnagar	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
22.	RA Sharma	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
23.	SS Patel	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
24.	SP Garg	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
25.	JS Ahuja	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
26.	Vijay Ku. Rathore	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
27.	Anurag Pd. Dixit	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
28.	Anurag Mishra	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
29.	Vivek Ku, Agrawal	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
30.	Rajesh Gupta	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP

31.	JS Khotra	EE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
32.	KB Sharma	AE (Gen)	NVDA	Bhopal
33.	Anil Kumar Jain	AE (Gen)	NVDA	Bhopal
34.	Jotirmay Ghosh	AE (Gen)	NVDA	Bhopal
35.	Somdev Sharma	AE (Gen)	NVDA	Bhopal
36.	Jayant Augusthy	AE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
37.	Bholanath Choudhary	AE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
38.	RP Rakhya	AE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
39.	PK Shrivastava	AE (Gen)	Transco	SLDC, JBP
40.	RK Shrivastava	AE (Gen)	Transco	SLDC, Indore
41.	Avneesh Shukla	JE (Gen)	NVDA	Bhopal
42.	Vivek Bhardwaj	JE (Gen)	Dy Secy. (Panchayat & Gramin Vikas)	Bhopal
43.	KR Kartha	JE Plant	OSD (Liaison)	Bhopal
44.	Smt. Anita Mehta	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
45.	SK Roy	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
46.	SN Sen	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
47.	SK Kohli	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
48.	PK Gupta	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
49.	PK Dhimole	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
50.	Mukesh Sharma	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
51.	CM Jain	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
52.	M Prabhakar	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
53.	JM Kulkarni	JE Plant	Transco	SLDC, JBP
54.	Sanat Desai	JE Plant	Transco	Indore
55.	Om Prakash Saini	Sr. Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP
56.	Vincent Fernandez	Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP
57.	MP Dubey	Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP
58.	AP Sapre	Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP
59.	MR Soni	Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP
60.	Ram Nihor Kushwaha	Plant Asstt.	Transco	SLDC, JBP

SCHEDULE B

The personnel working in the following offices/establishments providing common services in the Board stand provisionally transferred in accordance with this notification and in the manner as set out hereinbelow:

S. No.	Description of the personnel	Entity to which such personnel shall be transferred
1.	Personnel working in the office of CE(O&M-P) and ED(CS&A)	Discom 1 - Madhya Pradesh Poorva Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited
2.	Director (Finance), Jabalpur and offices under his control	Tradeco - Madhya Pradesh Power Trading Company Limited
3.	Madhya Pradesh State Electricity Board's hospital, Jabalpur	Tradeco
4.	Vehicle Section, Jabalpur	Tradeco
5.	SE (Civil) HQ, Jabalpur	Tradeco
6.	Director (V&S), Jabalpur	Tradeco
7.	Central Sports and Cultural Committee, Jabalpur	Tradeco
8.	OSD (Liaison Duty), Bhopal	Tradeco
9.	Resident Engineer, Delhi	Tradeco
10.	Personnel working in the State Load Dispatch Centre and HRDI, Jabalpur	Transco - Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited
11.	Personnel working in the Civil Circle, Mandleshwar	Genco - Madhya Pradesh Power Generation Company Limited
12.	Personnel working in Madhya Pradesh State Electricity Board's Secretariat, Personnel department, IRO/PRO/ Sr. LO offices	Such personnel shall be distributed and transferred to the four companies situated in Jabalpur in accordance with the order of preference submitted by the personnel in the prescribed form. (Schedule F)

SCHEDULE C
APEX COMMITTEE

1. Constitution.

(a) The Apex Committee shall comprise of:

- (i) the Chairman of the Madhya Pradesh State Electricity Board, Jabalpur
- (ii) the CMDs/MD of the six companies namely Discom-1, Discom-2, Discom-3, Genco, Transco and Tradeco, and
- (iii) the Secretary, Madhya Pradesh State Electricity Board, Jabalpur

(b) The Chairman and the Secretary of the Madhya Pradesh State Electricity Board shall be the Chairman and the Convenor of the Apex Committee respectively.

2. Terms of reference.

(a) In respect of representations received from the personnel against their provisional transfer i.e. before their absorption in the company, the Apex Committee shall, with assistance of the Working Committee make reasoned and cogent recommendations to the Government of Madhya Pradesh.

(b) The Apex Committee shall set out guidelines for this purpose.

SCHEDULE D
WORKING COMMITTEE

1. Constitution.

(a) The Working Committee shall comprise of:

(i) the Additional Secretary of the Madhya Pradesh State Electricity Board, Jabalpur,

(ii) All Head of Secretariat of the six Companies namely Discom-1, Discom-2, Discom-3, Genco, Transco and Tradeco, and

(iii) Additional Secretary (P) – 1 of the Board, Jabalpur

(b) The Additional Secretary of the Board shall be the Chairman of the Working Committee and the Additional Secretary (P) – 1 of the Board shall be the Convenor of this Working Committee.

2. Terms of reference.

The Working Committee shall act on personnel related matters in accordance with the provisions of the First Transfer Scheme Rules as amended from time to time and shall function under the supervision and control of the Apex Committee.

SCHEDULE E**REPRESENTATION AGAINST PROVISIONAL TRANSFER**

(Energy Department, GoMP Order No. _____ Dated _____)

1. Name of Employee _____
2. Designation _____
3. Place of posting _____
4. Entity in which working prior to provisional transfer _____
5. Company in which provisionally transferred _____
6. Company to be opted (in order of preference)
 - Priority No. 1 _____
 - Priority No. 2 _____
 - Priority No. 3 _____
 - Priority No. 4 _____
 - Priority No. 5 _____
7. Reasons for representation against provisional transfer

8. Whether to be heard personally Yes/No
9. If yes, whether assistance from any Employee Association/Union of the Board will be required Yes/No
10. If yes, Name of the Employee Association/Union _____

Signature _____

Name of Employee: _____

Designation: _____

(To be submitted in duplicate)

Acknowledgement -

Receipt No. & date: _____

Received by (with seal of the office) _____

SCHEDULE F**OPTION FOR TRANSFER**

(Applicable for personnel at Sl. No. 12 of Schedule B)

(Energy Department, GoMP Notification No. _____ Dated _____)

1. Name of Employee _____
2. Designation _____
3. Office in which presently working _____
4. Company to be opted (in order of preference) _____
 Priority No. 1 _____
 Priority No. 2 _____
 Priority No. 3 _____
 Priority No. 4 _____

5. Reasons for representation against provisional transfer

6. Whether to be heard personally Yes/No
7. If yes, whether assistance from any Employee Association /
 Union of the Board will be required Yes/No
8. If yes, Name of the Employee Association/Union _____

Signature _____

Name of Employee: _____

Designation: _____

(To be submitted in duplicate)

Acknowledgement -

Receipt No. & date: _____

Received by (with seal of the office) _____